राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

बुधवार,
23 फरवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 16.28 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर माभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

श्री अध्यक्ष : वन्दे मातरम् के लिए खड़े हो जायें।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 7 जनवरी, 1994 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

"अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक प. 15(8) राभ/93–94, दिनांक 7 जनवरी, 1994

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ. 10(1) सदन/वि. स./93/15, दिनांक 7 जनवरी, 1994 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,
बलिराम भगत

घोषणा
सभापति तालिका

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य को मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित कर लिये जाने के फलस्वरूप मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत उनके स्थान पर श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूँ।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री देवीसिंह भाटी को दिनांक 23 फरवरी, 1994 से 1 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य ने अपने पुत्र के विवाह के कारण 23 फरवरी, 1994 से 1 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सचिव, राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

सचिव, विधान सभा (श्री नन्दलाल छांगाणी) : मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

अधिसूचनाएँ

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4 (28) वित्त/ग्रुप–4/90–37, दिनांक 15–1–1994 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना क्रमांक परि/प. 6/(1) कर/87, दिनांक 5–1–1994 जिसके द्वारा विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु दो बसें अनुबन्धित की गयी हैं, एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 6(120) कर/मु./92, दिनांक 4–1–1994 जिसके द्वारा परिवहन निरीक्षक, जैसलमेर को राजस्व जिला क्षेत्र जैसलमेर के लिए कराधान अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम विभाग की दो अधिसूचनाएं....

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो अधि-

(श्री हरिसिंह)

सूचना रख रहे हैं सदन की मेज पर वह दिनांक 8–1–91 की है। उसके बाद असल में कई सत्र विधान सभा के हो चुके हैं। पहले भी आसन से कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं कि शीघ्र से शीघ्र ही इस प्रकार की अधिसूचना रखी जानी चाहिए। जब तक मन्त्री महोदय कोई उपयुक्त कारण नहीं बताए इसका, तब तक इस विलम्ब के कारण इन्हें अधिसूचना रखने की इजाजत नहीं दी जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इनको आप ताड़ना दो।

व्यवस्था

अधिसूचना की सदन पटल पर समय पर प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है कि इस बारे में आसन से भी कई बार यह निवेदन किया गया है कि अधिसूचनाएं समय पर रख दी जाएं और विलम्ब हो तो उसके कारण बताये जाएं कि अधिसूचना इतनी विलम्ब से क्यों रखी गयी। यह व्यवस्था का प्रश्न सही है और मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे। जब कभी आप देरी से रखें तो उसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

अधिसूचनाएं

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम विभाग की दो अधि-सूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 4/3 श्रम/88, दिनांक 8 जनवरी, 1994 एवं

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4/1 श्रम/91, दिनांक 7 जून, 1993.

प्रतिवेदन एवं लेखे

साम्भर साल्ट लि. का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं अन्य लेखे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप धारा 3 का भाग बी के अन्तर्गत साम्भर साल्ट लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 91–92 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 28वां एवं 29वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1956 की धारा 35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 28वां व 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

राजस्थान स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मन्त्री, कृषि) : मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप धारा 3 का भाग बी के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड का 21वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

इसके पहले एक मेरा निवेदन है। आप लोग इस पर विचार करें कि हमारे यहां जो विपक्ष शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके बजाय यदि प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपका क्या लगेगा ? पक्ष और प्रतिपक्ष यह मेरा आपसे निवेदन है। इस पर आप विचार करें।

शोकाभिव्यक्ति।

मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का परिचय

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से शोकाभिव्यक्ति के पूर्व दो मन्त्री जो हाल ही में मंत्रिमण्डल में लिये गये हैं उनका परिचय करवा दूं।

आप हैं श्री कैलाश मेघवाल और आप हैं श्री रघुवीरसिंह कौशल।

शोकाभिव्यक्ति

श्री चिमन भाई पटेल, मुख्यमंत्री, गुजरात; श्री भीमराज चौधरी एवं श्री दीपंकर, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा, श्री हीरालाल कोठारी तथा श्रीमती ज्ञानकी देवी पथिक, स्वतन्त्रता सेनानी के निधन पर

अध्यक्ष महोदय, श्री चिमन भाई पटेल, मुख्य मन्त्री, गुजरात, श्री भीमराज चौधरी, भूतपूर्व सदस्य, पांचवीं राजस्थान विधान सभा, श्री दीपंकर, भूतपूर्व सदस्य, पांचवीं राजस्थान विधान सभा, श्री हीरालाल कोठारी, पूर्व मन्त्री, मेवाड़ व स्वतन्त्रता सेनानी, श्रीमती जानकी देवी पथिक, स्वतन्त्रता सेनानी इन सबके देहावसान पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और इनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री चिमन भाई पटेल ने राजनीति में एक किसान के घर से प्रवेश किया है। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही अपने राजनैतिक वर्चस्व की जानकारी पूरे गुजरात प्रदेश को दी थी। किसान के घर से पैदा होने के कारण गांव की ओर किसान की समस्याओं का उनको पूरा ज्ञान था और लगातार इसके लिए वे संघर्ष करते रहे।

व्यक्तिगत रूप से वे मेरे मित्र थे। जितने भी अन्तरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स गुजरात में लिये गये हैं उनकी जानकारी वे मुझे भी देते थे और मेरा भी यह प्रयास रहता था कि हम दोनों मिलकर कुछ इस प्रकार की परियोजनाएं राजस्थान में लागू करें जिससे राजस्थान की जनता को सब प्रकार का लाभ मिले। यह निश्चित है कि पिछले एक-डेढ़ वर्षों में गुजरात में उन्होंने अच्छा विनियोजन कराया उसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वे एक मिलनसार व्यक्ति थे और उस मिलनसारी में ही सारे विरोध के बावजूद जितने भी विकास के काम वे ले सकते थे निःसंकोच उन्होंने विकास के काम अपने हाथ में लिए। हाल ही की एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले मैंने उनसे पूछा था कि अबके आपके यहां राजनैतिक विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। उनका एक सटीक जवाब था कि इस राजनैतिक विवाद को समाप्त करने के लिए मैंने इस बात की कोशिश की कि गुजरात का आर्थिक विकास करने में मैं पूरी सरकार को लगा दूं। अभी दाह-संस्कार में जब मैं गया था तो लोगों के मुंह पर केवल एक ही बात थी कि थोड़े से समय के लिए जिन्दा रह जाते तो योजनायें जो उन्होंने अपने सामने रखी और विदेशों में जो योजनाएं भेजीं वे सारी योजनाएं स्वीकार हो जातीं और गुजरात के विकास में एक बहुत बड़ी मदद मिलती।

यह दुर्भाग्य है कि उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया। गुजरात में निश्चित रूप से उनकी यह कमी कई दिनों तक खलती रहेगी। इस कमी की पूर्ति कैसे हो, यह तो समय ही कर पायेगा लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि व्यक्तिशः जब कोई भी चर्चा होती तो आपस में उनसे चर्चा कर ली जाती थी, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो वह समाधान भी एक दूसरे को बताकर करने की कोशिश करते थे।

अध्यक्ष महोदय, श्री भीमराज चौधरी इस विधान सभा के भी सदस्य रहे हैं तथा संसद के भी सदस्य रहे हैं। वे भी बिलकुल मेरी तरह ग्रामीण क्षेत्र के थे। संसद में भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान विधान सभा में भी वे प्रतिनिधित्व करते रहे। एक मृदुभाषी व्यक्ति राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिस प्रकार से रखता है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि श्री भीमराज चौधरी ने जब कभी भी राजस्थान की और अपने क्षेत्र की समस्या के सम्बन्ध में चाहे लोक सभा में या विधान सभा में कोई मामला उठाया हो, सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया है और उसी गम्भीरता के साथ उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाये, इस सम्बन्ध की चेष्टा की है। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से चले गये। उनकी ऐसी कोई उम्र नहीं थी जिसके कारण से वे इस अवस्था में यहां से चले जायें लेकिन भगवान की कृपा है कि हमारे बीच में से उनको ले लिया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि उस क्षेत्र में इस प्रकार के व्यक्ति के अभाव से बहुत हानि होगी।

श्री दीपंकरजी पांचवीं विधान सभा के सदस्य थे। श्री दीपंकरजी लाडनूं से चुनाव जीतकर इस विधान सभा के सदस्य बनकर आये थे। बहुत ही विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे। विनोद भी करते थे और विनोद के साथ क्रोध भी आता था। कई बार चर्चा में विनोदी स्वभाव से कई बातें ऐसी कह गये जिनको कहने से उस आदमी के बड़प्पन का अपने आप ही प्रकटीकरण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि वह व्यक्ति जनता के बीच में रहा, जनता का प्रतिनिधित्व किया और जनता के बीच में ही समा गया, इस प्रकार के व्यक्ति के जाने से हमें वास्तव में बहुत ही दुःख हुआ है।

श्री हीरालाल कोठारी मेवाड़ में पूर्व मन्त्री थे और प्रजामण्डल के सदस्य थे। आर्थिक क्षेत्र में इस व्यक्ति की धाक थी। किस प्रकार से आर्थिक उत्थान राजस्थान का किया जाये, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान किस प्रकार से हो, उनका बहुत अच्छा अध्ययन था और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कई बार इस प्रकार के सुझाव दिये हैं कि तत्कालीन सरकारों ने उन सुझावों पर अमल किया है और जनता को उनसे लाभ पहुंचा है। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से उठ गये।

इसी प्रकार से जानकी देवी पथिक से मेरा आन्दोलन के समय नहीं लेकिन काफी वर्षों से एक प्रकार का निजी सम्पर्क था। कारण यह था कि मैं भी एक बार हास्पिटल में अपने उपचार के लिए भर्ती था और ये भी उपचार के लिये वहां लायी गयी थीं। उस समय से कुछ ऐसा सम्बन्ध रहा जैसे मां और बेटे का सम्बन्ध रहता है। मेरे पूरे परिवार के लोग जब भी वह यहां रहती थीं उनके पास जाते। मेरी लड़की अब भी उनसे आशीर्वाद लेकर कुछ दिनों पहले ही आयी थी। जब भी कोई व्यवस्था होती या अव्यवस्था होती, ये जानकी देवीजी मेरी लड़की को बुलाकर उसके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करती थीं। बिलकुल एक पारिवारिक सम्बन्ध मेरे और उनके बीच में था और मैं ऐसा समझता हूं कि मां का स्वरूप लिये कोई महिला जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत काम किया हो वह उठती हैं तो निश्चित रूप से उसका दुःख होता है। मुझे भी दुःख है, इस सदन को भी दुःख है।

उन्होंने और उनके पति विजय सिंह पथिक ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में जिस प्रकार की सेवाएं की हैं उसको राजस्थान या हिन्दुस्तान कभी भूल नहीं सकता। उनकी सेवाएं सदा ऐसी रहेंगी कि लोगों को याद करने पर उनसे प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार का व्यक्ति उठ गया, इसका मुझे दुःख है और इसलिए इन सब को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिमनभाई पटेल देश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते थे। दो बार वे गुजरात के मुख्य मन्त्री भी रहे। देसाईजी और ओझाजी के मुख्यमंत्रित्व में वे उनके साथ मन्त्री भी रहे। एक सक्षम संगठनकर्ता थे। किसान के परिवार में पैदा हुए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में भी अपना एक स्थान बनाया। वे इकानामिक्स के प्रोफेसर भी रहे डीन ऑफ दी फैकल्टी भी रहे, प्रिंसिपल ऑफ दी कॉलेज भी रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में कई पुस्तकें भी लिखीं और उनका हमारे

(श्री परसराम मदेरणा)

देश के सार्वजनिक जीवन में और गुजरात के विकास में, और औद्योगीकरण में बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है।

दलितों के उत्थान के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं प्रारम्भ की और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महती भूमिका रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी उनके फ्यूनरल में जा सके, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं पहुंच सका वहां पर। उन्होंने लोगों को आपस में, दूसरी तरफ उनकी एनर्जी और सब को डाइवर्ट करने के लिए विकास को त्वरित गति दी, मैं समझता हूं और बात तो अनुकरणीय है कि नहीं है उनके जीवन में, लेकिन अभी मुख्य मन्त्रीजी इस बात से उदाहरण लेकर के आये हैं और राजस्थान में भी इसी तरह से आप कार्यवाही प्रारम्भ करने की, विकास के मामले में, अनुकम्पा कीजिये ताकि सब लोग आपका अनुसरण कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, भीमराज जी चौधरी पांचवीं विधान सभा के सदस्य भी थे और 12 साल तक वह राज्य सभा के सदस्य भी रहे। मेरे वह घनिष्ठ मित्र और निकट सहयोगी रहे हैं। उनके निधन का दुःखद समाचार सुनकर मुझे बहुत बड़ा आघात लगा।

वे बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, मृदभाषी, एक उदार मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। राजनैतिक क्षेत्र में कभी-कभी मतभेद और मनभेद हो जाया करते हैं लेकिन मैंने देखा कि उनसे सभी लोग प्रसन्न थे। ऐसे व्यवहार कुशल और राजनेता, जो किसानों की सेवा में हमेशा कार्यरत रहे हैं, निधन से हमारे प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा जो वोइड क्रियेट होगा उसकी क्षतिपूर्ति मुझे सम्भव दिखती नहीं।

श्री दीपंकरजी पांचवीं विधान सभा के सदस्य ही नहीं, बल्कि पहले वे लाडनूं नगरपालिका के चेयरमैन भी थे, वे पंचायत समिति के प्रधान भी थे। उस वक्त भी मुझ से कई दफा मिले। लोकल सेल्फ संस्थाओं के विकास में, उनको सुदृढ़ बनाने में, पंचायती राज के सम्बन्ध में उनका गहरा अध्ययन था और एक लम्बे अरसे तक वे सार्वजनिक जीवन में रहे।

उनका अपना ड्रेस, अपनी एक अलग ही पहचान थी। वे विनोद प्रिय व्यक्ति निश्चित तौर पर थे। इसलिए ऐसे आदमी की सेवाएं समाज और पंचायती राज के लिए, गांवों के विकास के लिए बहुत ही अनुकरणीय रही हैं। हमारे बीच से उनका उठ जाना एक बहुत बड़ी क्षति है।

श्री हीरालालजी कोठारी के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी लेकिन यह बात निर्विवाद थी कि वे स्वतन्त्रता सेनानी थे। 'क्विट इण्डिया' मूवमेंट के वक्त में 6 साल तक उनको नजरबन्द की कैद हुई थी। एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और इंश्योरेन्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इंश्योरेन्स का प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती जानकी देवीजी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने जो

(श्री परसराम मदेरणा)

भावनाएं सदन में प्रकट की हैं, मैं भी उनके साथ में अपने आपको जोड़ता हूं।

विजयसिंहजी पथिक राजस्थान में किसान क्रान्ति के और किसान जागृति और चेतना के अग्रणी थे। उनसे उनको प्रेरणा मिली। जिस वक्त सामंतों का शोषण था, समाज और किसानों में इतना उत्पीड़न था उस वक्त विजयसिंहजी पथिक और माम-राजजी वर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसान संगठनों को मजबूत किया और उनकी सोयी हुई आत्मा को और उनके स्वाभिमान को जगाया उनकी धर्मपत्नी होने के नाते पथिकजी से उनकी प्रेरणा थी और उन्होंने पथिकजी का कंधे से कन्धा मिलाकर उनके द्वारा चलाये गये संघर्ष में उनका सहयोग ही नहीं किया, उसके साथ-साथ जिस तरह से कस्तूरबा गांधी का महात्मा गांधी के साथ में सहयोग था, विजयसिंहजी पथिक के साथ में जानकी देवीजी का भी पूर्ण सहयोग रहा। वे हमारे बीच में अब नहीं रहीं। लेकिन उनका जीवन, उनकी तपस्या, उनका त्याग हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उन सभी व्यक्तियों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिरशान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असह्य क्षति को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

श्री फतेह सिंह (नेता, जनता दल): अध्यक्ष महोदय, श्री चिमन भाई पटेल, मुख्य मन्त्री, गुजरात, श्री भीमराज चौधरी, भूतपूर्व सदस्य, पांचवीं राजस्थान विधान सभा, श्री दीपंकर, भूतपूर्व सदस्य, पांचवीं राजस्थान विधान सभा, श्री हीरालाल कोठारी, पूर्व मन्त्री मेवाड़ व स्वतन्त्रता सेनानी, श्रीमती जानकी देवी पथिक, स्वतन्त्रता सेनानी, ये जो नेता पूर्व में पदों पर थे, का देहावसान हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे, उनके शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय, श्री चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्य मन्त्री थे यानी हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए थे। गुजरात के अन्दर उनके शासनकाल में उन्होंने जो काम उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए किया है, मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान और गुजरात के बीच में एक अनास नदी बहती है और उस इलाके के अगल-बगल में आदिवासी छोटे किसान रहते हैं, वहां पर उन्होंने लोगों की एक मांग को लेकर एक ऐसा काम किया कि वह बारहमासी नदी बहती थी, उसके ऊपर जगह-जगह उन्होंने लिफ्ट लगा दी, लिफ्ट लगाकर वहां के किसानों की सोसायटी बनाकर उनके जिम्मे कर दी। उसके बगल में राजस्थान का क्षेत्र है और सामने गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर देखते हैं तो सारी हरियाली ही हरियाली नजर आती है और इधर के एरिया में सूखा ही सूखा नजर आता है तो मैं समझता हूं कि उनके रहते उन्होंने आदिवासी किसानों के लिए, गरीब तबके के लिए काफी काम किया है और अगर आगे वे रहते तो और

(श्री फतेह सिंह)

काफी काम उनके जरिये होते। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं लेकिन साथ ही साथ राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि उनके काम उनकी शैली और उनके विकास की गति को देखते हुए राजस्थान में भी उस बनास नदी के ऊपर लिफ्ट लगाने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं उनके प्रति जो श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे, वह सही रहेगी। और अन्य सभी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन सबके परिवार जन के प्रति अपनी ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अमरा राम (नेता, माकपा) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के मुख्य मन्त्री, श्री चिमन भाई पटेल, श्री भीमराजजी चौधरी, श्री दीपंकर, श्री हीरालाल कोटारी, श्रीमती जानकी देवी पथिक, इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में समाज के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। जानकी देवी पथिक जी का जीवन, राजस्थान के उस जमाने में जहां सामन्ती अत्याचार था, जहां अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, उस समय किसानों में जागृति पैदा करके, किसानों को संगठित करके अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जागृत किया। पूरे राजस्थान के किसानों की आज भी वह प्रेरणा की स्रोत थीं।

मैं मेरी ओर से उन विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के लिए प्रकृति से कामना करता हूं कि उनके असामयिक निधन से जो दुःख उनको हुआ है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पुनः श्रद्धांजलि करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री चिमन भाई पटेल, श्री भीमराज चौधरी, श्री दीपंकरजी, श्री कोठारी जी और श्रीमती जानकी देवी हमारे बीच में नहीं रहीं।

सदन के नेता महोदय ने और प्रतिपक्ष के नेताजी ने अपने भाव व्यक्त किये, यह सदन अपने आपको उनकी भावनाओं में सम्मिलित करता है और मैं भी अपनी भावनाएं उनके साथ जोड़ता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो आत्मा हमारे बीच नहीं रहीं, उन्हें शान्ति प्रदान हो।

श्री भीमराज चौधरी हमारे बहुत नजदीक के साथी रहे हैं। हमारे ही नहीं, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों का उनके साथ में व्यक्तिगत स्नेह, प्रेम रहा है। वे इतने अच्छे मृदुभाषी और स्थानीय समस्याओं को सुन्दर ढंग से रखने वाले थे।

श्री चिमन भाई पटेल गुजरात के ही नहीं, हिन्दुस्तान की एक हस्ती में से थे। उनके देहावसान से गुजरात को नुकसान हुआ है, सम्पूर्ण देश से भी एक नेता उठ गया है।

श्रीमती जानकी देवीजी का नाम आते ही उस इतिहास को अपनी आंखों के सामने देखते हैं जब राजस्थान का किसान पीड़ित था। किसान में स्वाभिमान जगाने के लिए अथक प्रयत्न किया पथिकजी ने, और उनका साथ दिया श्रीमती जानकी देवीजी ने। वे सब हस्तियां स्मरण करने योग्य रही

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं और हम यह चाहते हैं कि उन हस्तियों से जो आज हमारे बीच में नहीं रहीं, हमें प्रेरणा मिले।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत व्यक्तियों को भगवान शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार के साथ उनके दुःख में हम भी अपना दुःख व्यक्त करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने गुजरात के मुख्य मन्त्री, श्री चिमन भाई पटेल, पूर्व सांसद एवं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भीमराज चौधरी एवं श्री दीपंकर तथा स्वतन्त्रता सेनानी श्री हीरालाल कोठारी एवं श्रीमती जानकी देवी पथिक के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

गुजरात की राजनीति में गत तीन दशक से छाये रहने वाले श्री चिमन भाई पटेल का जन्म बड़ौदा जिले की सांखेड़ा तहसील के गांव चिखोदरा में 3 जून, 1929 को हुआ। आपने एम. एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा से अर्थशास्त्र में एम. ए. की उपाधि प्राप्त की।

गुजरात के विकास के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले श्री पटेल दो बार गुजरात के मुख्य मन्त्री रहे। पहली बार 17 जुलाई, 1973 से 9 फरवरी, 1974 तक मुख्य मन्त्री के पद पर आसीन रहने के बाद जनता दल एवं भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार के सत्ता में आने पर 4 मार्च, 1990 को दूसरी बार मुख्य मंत्री बने।

श्री पटेल तीसरी गुजरात विधान सभा (1967-71) के लिए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सांखेड़ा से निर्वाचित होने पर श्री हितेन्द्र देसाई की सरकार में खेल और यातायात विभाग के मन्त्री बनाये गये। इसके बाद वर्ष 1972-73 में श्री घनश्याम ओझा की सरकार में आप विद्युत और उद्योग मन्त्री बनाये गये।

श्री पटेल के राजनैतिक जीवन की शुरूआत उनके अध्ययन काल में ही हो गयी थी। आप 1950 में एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा के छात्र संघ के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 1954 से 1960 तक गुजरात युवक कांग्रेस के सचिव रहे। आप 1955 में गुजरात विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य तथा वर्ष 1962 एवं 1965 में विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट के सदस्य चुने गये। आप विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी सक्रिय सदस्य रहे। वर्ष 1962 में आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सचिव बनाये गये।

राजनीति के साथ-साथ आप शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े रहे और कई वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। वर्ष 1953-54

(श्री अध्यक्ष)

में आप गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। वर्ष 1954–55 में एल. डी. आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद में कला संकाय के डीन एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहने के बाद वर्ष 1955 से 60 तक अहमदाबाद के सेन्ट जेवियर्स कॉलेज में रहे। वर्ष 1960–61 में आप सरदार पटेल आर्ट्स एण्ड कामर्स कॉलेज के प्रधानाचार्य बने।

प्रमुख राजनैतिक नेता, सक्षम संगठनकर्ता और कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ गुजरात के सार्वजनिक जीवन में निस्वार्थ सेवा-भाव के कारण श्री पटेल एक विशिष्ट व्यक्ति बन गये थे। गुजरात के औद्योगीकरण और दलितों के उत्थान में भी आपका उल्लेखनीय योगदान रहा। भारत की आर्थिक समस्या और अर्थशास्त्र पर आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

आपने चीन, वियतनाम, कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित अनेक देशों की यात्राएं की हैं।

श्री चिमनभाई पटेल का अहमदाबाद में 17 फरवरी, 1994 को निधन हो गया।

राजस्थान से राज्य सभा में दो बार सांसद और पांचवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक रहे श्री भीमराज चौधरी का जन्म श्रीगंगानगर जिले की संगरिया तहसील के ग्राम लीलावाली में 28 दिसम्बर, 1943 को हुआ। आपने गवर्नमेंट कॉलेज, चण्डीगढ़ से बी.ए. की उपाधि ग्रहण की।

श्री चौधरी पांचवीं विधान सभा (1972–77) के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नोहर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। अप्रैल, 1977 में आप राज्य सभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए तथा अप्रैल, 1984 में पुनः सांसद चुने गये। वर्ष 1984–85 में आप संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

पूर्व सांसद श्री भीमराज चौधरी अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत में 21 वर्ष की उम्र में ही ग्राम पंचायत लीलावाली के सरपंच चुने गये तथा 14 वर्ष तक इस पद पर रहे। आप राजस्थान राज्य खेलकूद परिषद् के 6 वर्ष सदस्य रहे।

आपने जापान, हांगकांग और बैंकाक सहित अनेक देशों की यात्राएं भी कीं।

श्री चौधरी जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। एक सांसद और विधायक के रूप में आप क्षेत्रीय विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आपके निधन से प्रदेश में हरित क्रांति के समर्थक और एक बुद्धिजीवी किसान नेता की कमी हो गयी है।

श्री चौधरी मेरे साथ सन् 1978 में राज्य सभा के सदस्य रहे। हम दोनों 6 साल तक साथ रहे और मैं समझता हूं कि राजनैतिक क्षेत्र में सज्जनता का मानदण्ड किसी ने स्थापित किया तो श्री भीमराज ने किया। उनकी सज्जनता की वजह से सभी लोग उनके प्रशंसक थे, पक्ष और प्रतिपक्ष के। वे इतने ज्यादा मृदुभाषी व व्यवहार में मृदु थे कि हर व्यक्ति उनके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था और मुझ तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से

(श्री अध्यक्ष)

इतना गहरा लगाव था कि उनके निधन के बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। वे बहुत छोटी उम्र में हमें छोड़कर चले गये।

श्री भीमराज चौधरी का 14 फरवरी, 1994 की देर रात्रि में निधन हो गया।

पांचवीं राजस्थान विधान सभा में सदस्य रहे श्री दीपंकर का जन्म नागौर जिले के ग्राम कसूबी में सन् 1923 में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा श्री रघुनाथ विद्यालय, रतनगढ़ तथा श्री हिन्दी विद्यालय, लाडनूं में हुई। आपने साहित्य रत्न की उपाधि ग्रहण की।

श्री दीपंकर, पांचवीं विधान सभा (1972–77) के लिए लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1941 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गये थे। वर्ष 1967 में आप नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। सन् 1941 में मारवाड़ के जिम्मेदार हुकूमत आन्दोलन में भाग लेने पर आपको जोधपुर जेल में रखा गया। वर्ष 1948 में आप मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य बन गये।

आप 11 वर्ष लाडनूं नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1965 से 72 तक आप पंचायत समिति, लाडनूं के प्रधान भी रहे। वर्ष 1969 में आप राजस्थान पंचायत राज संघ के सचिव बने। पंचायत राज व्यवस्था और जन-जन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में आपकी विशेष रुचि रही।

मेरा श्री दीपंकर से सन् 1941 से बराबर सम्बन्ध रहा है और स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास और मथुरादास जी माथुर के वे प्रमुख सहयोगियों में से रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य तबके में, जो सबसे गरीब लोग थे उनमें उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वे अधिकतर उन्हीं में रहते थे और उन्हीं के लिए संघर्ष करते रहे।

उनकी कुछ साहित्यिक गतिविधियां भी थीं। शुरू-शुरू में वे साहित्यकार भी थे और उसके बाद राजनीति में उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, विशेष तौर से गरीब तबकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और इसलिए अपनी पहचान और अपनी वेशभूषा भी उन्होंने ऐसी बनायी कि लोग उनको वही समझते थे जिसके लिए वे संघर्ष करते थे।

ऐसे संघर्षशील व्यक्ति श्री दीपंकर का 15 फरवरी, 1994 को निधन हो गया।

राजस्थान के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और मेवाड़ के पूर्व मन्त्री श्री हीरालाल कोठारी का जन्म 18 अक्टूबर, 1917 को उदयपुर में हुआ।

श्री कोठारी मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही इससे सक्रिय रूप से जुड़ गये थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप श्री माणिक्यलाल वर्मा के निमंत्रण पर उदयपुर गये और 2 अक्टूबर, 1942 को गांधी जयन्ती मनाने पर आपको 6 माह के लिए नजरबन्द कर दिया गया।

श्री कोठारी एक कुशल अर्थशास्त्री थे। आपने वर्ष 1935 से 42 तक इन्श्योरेन्स

(श्री अध्यक्ष)

का कार्य किया। आप स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में प्रमुख अधिकारी भी रहे। बैंकों की सेवा के दौरान आपने इंग्लैण्ड, अमरीका और यूरोप के अनेक देशों की कई बार यात्राएं कीं।

श्री हीरालाल कोठारी का 20 फरवरी, 1994 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

राजस्थान में किसान आन्दोलन के जनक श्री विजयसिंह पथिक की धर्मपत्नी और स्वतन्त्रता सेनानी श्रीमती जानकीदेवी ने राजस्थान के राजनैतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 फरवरी, 1930 को पथिकजी से विवाह होने के साथ ही आपका संघर्षमय जीवन प्रारम्भ हो गया था।

श्रीमती जानकी देवी अपने पति श्री विजयसिंह पथिक से प्रेरणा पाकर उनके साथ ही स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़ीं और आन्दोलन के दौरान दमन और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर जन-जागरण में जुट गयीं। राजस्थान के जन-मानस को अंग्रेजों के आतंक, रियासती सामन्तों के अत्याचार और जागीरदारों के शोषण और उत्पीड़न के दुष्चक्र से मुक्त कराने के लिए आप निरन्तर प्रयत्नशील रहीं।

मेरे से भी उनका मिलना दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति में हुआ जब वे बीमार थीं और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। साहित्यकार मित्रों ने उनके लिए व्यवस्था की थी, वह राशि मैंने उनको एस.एम.एस. अस्पताल में जाकर दी थी और उस समय भी मैंने देखा कि इतनी वृद्धावस्था में उनमें जो जागरूकता थी वह एक प्रकार से अभूतपूर्व थी।

श्रीमती जानकी देवी पथिक का लम्बी बीमारी के बाद 10 फरवरी, 1994 को मथुरा में निधन हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि प्रकट की)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का

द्वितीय प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 1994 को मध्याह्न

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई । समिति ने निर्णय लिया है कि गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994 से शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये—

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994 शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 1994	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 1994 रविवार, दिनांक 27 फरवरी, 1994	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1994	— राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद
मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994	— राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।
बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994	— राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 एवं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन विधेयक) 1994 पर विचार एवं पारण ।
गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 1994	— राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 पर विचार एवं पारण ।
शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994	— राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 पर विचार एवं पारण ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक पत्र लिख कर निवेदन किया था कि····

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मैं बोल रहा हूं । पहले तो मैं यह पारित करा दूं, उसके बाद बता दूंगा ।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसका महत्व ही क्या रह जायेगा, अगर आप इसको पारित करा देंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, अब बैठिये । इस सम्बन्ध में कार्य सलाहकार समिति में आपके उस पर विचार हुआ । कठिनाई यह आयी कि तीन दिन बीच में कोई बिजनेस नहीं है क्योंकि यह जो बिल्स एक तारीख को आने वाले हैं वह अभी मुद्रित हुए नहीं हैं····

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, मुझे इसके बारे में भी यह निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, कि आप पंचायत राज का बिल और नगरपालिका का बिल लेकर उसको पास कराना चाहते हैं। उसमें मेरा यह सुझाव है कि चार दिन की सलेक्ट कमेटी में आप उसको दे दें तो उसमें ज्यादा विचार-विमर्श होगा और उसके बाद में, और कार्य दिवस तो आप शुक्रवार का जो....

श्री अध्यक्ष : वह उस समय विचार करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : प्राइवेट मैम्बर्स बिल का जो समय मिलता है वह भी इसमें नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर, डे पर भी विचार हुआ है। प्राइवेट मैम्बर डे के लिए भी दो दिन का नोटिस चाहिए आपको कोई मोशन मूव करने के लिए या बिल मूव करने के लिए। वह समय भी नहीं है। यदि हम 25 तारीख को प्राइवेट मेम्बर्स डे रखते हैं तो समय नहीं है। तो इसलिए कोई बिजनेस ही नहीं होगा। केवल मैम्बर्स डे रखने से नहीं....

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बहस का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रस्ताव रखिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 फरवरी, 1994 के सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.13 बजे गुरुवार, 24 फरवरी, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र को सम्बोधित करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं व आपके माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, प्रेषित करता हूं।

2. दो माह पूर्व इस विधान सभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए मैंने राज्य के विकास के विषय में माननीय सदस्यों को अवगत कराया था। इस पर सदन में व्यापक चर्चा भी हुई थी। अतः मैं उन बातों को विस्तार से पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा।

3. देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक मानचित्र में राजस्थान की अपनी विशिष्ट पहचान है। यहां की धरती के गर्भ में बहुमूल्य खनिज सम्पदा छिपी हुई है। यहां के रणबांकुरों व वीरांगनाओं ने अपनी आन-बान व शान बनाये रखने के लिये अपने लहू से इतिहास रचा है। हमारे उद्यमियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी साहसिकता से आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास का सोपान रचा है। सामंजस्य की राजनीति, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं प्रशासनिक दक्षता में राजस्थान की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में होने लगी है। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्ष में इस दिशा में हम और प्रगति करेंगे।

4. प्रदेश की जनता की सरकार से त्वरित विकास व स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने की आकांक्षा है। इस प्रकार की व्यवस्था मांगने का उसका अपना अधिकार भी है। सरकार इस दायित्व का वहन करने के लिए पूरी चेष्टा करेगी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बनायेगी। लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में व्यर्थ ही चक्कर काटना न पड़े, इसके उपाय भी सोचे गये हैं। पिछले सत्र में मैंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सरलीकरण हेतु श्री गोपाल कृष्ण भनोत की अध्यक्षता में 1992 में बनाई गई समिति का उल्लेख किया था। इस समिति के चार अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से वित्तीय प्रशासन के अन्तर्गत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के सरलीकरण पर दी गई रिपोर्ट का क्रियान्वयन सरकार द्वारा कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व ऊर्जा विभाग में सुधार हेतु प्राप्त प्रतिवेदनों पर निकट भविष्य में निर्णय ले लिए जायेंगे।

5. प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था में सहायक होगा। सरकार ने राज्य अन्वेषण ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण किया है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लागू किये गये उपायों को और भी प्रभावी बनाया जावेगा। स्वच्छ प्रशासन के लिए सभी लोगों का सहयोग सरकार को मिलना चाहिए। इस दिशा में सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है।

6. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विलम्ब से पेन्शन मिलने के कारण जो कठिनाई होती है उससे माननीय सदस्य अवगत हैं। वर्तमान व्यवस्था की पेचीदगियों के कारण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद लम्बे समय तक पेन्शन का भुगतान नहीं हो पाता था। इस समस्या के हल के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने पेन्शन नियमों एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब सेवानिवृत्ति के दिन ही राज्य कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान पत्र दिये जा सकेंगे। पेन्शन स्वीकृत करने के अधिकार जिला स्तर पर विकेन्द्रित कर दिये गये हैं।

7. इस वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 1704 करोड़ रुपये है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने योजना आयोग से अगले वर्ष के लिये 2450 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कराई है। इस वर्ष की योजना से अगले वर्ष की योजना 44% अधिक होगी जो अन्य सभी राज्यों की वार्षिक योजना में हुई वृद्धि से अधिक है। योजनागत विनियोग में सर्वाधिक महत्व ऊर्जा क्षेत्र को दिया गया है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि क्षेत्रों को भी जिनसे जन-सामान्य का हित जुड़ा हुआ है, प्राथमिकता दी गई है। अब यह सरकार का दायित्व है कि वह इस महत्वाकांक्षी योजना के लिये साधन जुटाये व ठीक तरीके से योजनागत व्यय करे। सरकार को इस गुरुतर दायित्व का अहसास है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में सरकार को सहयोग करें ताकि व्यापक सहमति से योजना कार्यों का सम्पादन हो सके। योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना समन्वय समिति की व्यवस्था पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। सरकार ने विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से सम्भागीय स्तर पर भी योजना समन्वय समितियों के गठन करने का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर भी जिला आयोजना एवं विकास समितियों का गठन किया जायेगा ताकि सभी स्तरों पर व्यापक सहभागिता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन हो सके।

8. राज्य के अपने साधन सीमित हैं। 1990–92 की अवधि में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से परियोजना के आधार पर सहायता लेने के विशेष प्रयास किये गये थे जिसके फलस्वरूप राज्य में योजनागत विनियोग बढ़ा है। इससे चालू वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में इससे भी कम सहायता राज्य को अन्तर-राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त हुई थी। सरकार का यह प्रयास होगा कि अगले दो वर्षों में विद्युत, पेयजल, नगरीय विकास, महिला विकास, गरीबी उन्मूलन व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में चार-पांच हजार करोड़ रुपये की योजनाएं बनाकर अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार के माध्यम से सहायता हेतु प्रस्तुत की जाये ताकि नवीं योजना में भी योजनागत विनियोग की वर्तमान वृद्धि को बनाये रखा जा सके। यह प्रयास, प्रदेश के दीर्घकालीन

विकास के लिए वर्तमान सरकार की दूरदर्शिता का द्योतक है।

कृषि :

9. सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष प्राथमिकता दी है। श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी सरकारें गरीबों, किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों की सदैव हिमायती रही हैं। 1977 में गरीबी उन्मूलन के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी जिसकी सर्वत्र सराहना हुई तथा भारत सरकार ने भी इसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में अपनाया। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गाँव-गांव में जन सहभागिता के आधार पर व्यापक पैमाने पर सामुदायिक कार्य करवाये गये थे। 1990-92 की अवधि में भी इसी सहभागिता के आधार पर अपना गांव अपना काम योजना लागू की गई थी। किसानों को बैंक ऋणों में 300 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की राहत दी गई थी। बारानी भूमि का लगान माफ किया गया था तथा, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक योजना की 60 प्रतिशत से अधिक राशि विनियोजित करने की व्यवस्था की गई थी। जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 203.41 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में इनके लिये 1286.92 करोड़ रुपये के विनियोजन की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। भविष्य में सरकार किसानों तथा गरीबों के हितों के लिए निरन्तर अग्रसर होती रहेगी।

10. अभी हाल ही में भारत सरकार ने व्यापार हेतु जो ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरुग्वे राउण्ड आफ नेगोसिएशन्स में किया है उसमें सन्निहित डंकल प्रस्तावों से किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिन्ता व्यक्त की जा रही है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए थी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सलाह किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का करार किया। हमने प्रधान मन्त्रीजी को इस बारे में अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया हैं। राज्य सरकार भविष्य में भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी स्तर पर भरसक प्रयास करती रहेगी।

11. राज्य में कृषि व्यवस्था ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है जहां शोध एव तकनीक सुधार से ही भविष्य में अतिरिक्त उत्पादन बढ़ सकता है। अतः सरकार कृषि में शोध एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान देगी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को इसके लिये अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि में महिलाओं की विशेष भागीदारी है। अतः किसान महिलाओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कृषि औजारों को बनाने एवं मरम्मत करने वाले ग्रामीण दस्तकारों की कार्यक्षमता में सुधार आवश्यक है। उनके प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें उन्नत औजार भी उपलब्ध कराये जायेंगे इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही उन्नत कृषि औजार उपलब्ध हो सकेंगे।

12. आर्थिक उदारीकरण के कारण कृषि निर्यात की पर्याप्त सम्भावनाएं बनी

हैं। निर्यात के लिए कृषि उत्पादन का एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा ताकि किसानों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का लाभ मिले। प्रदेश में फलों व फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विशेष विनियोग किया जायेगा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

सहकारिता :

13. प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को पिछले कुछ वर्षों से गति मिली है। ऋण राहत योजना, अंशपूंजी, विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, प्रबन्ध सुधार, प्रबन्ध के जनतान्त्रिकीकरण आदि कारणों से प्रदेश में सहकारी आन्दोलन मजबूत हुआ है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि शीर्ष सहकारी बैंक ने इस वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। सहकारी संस्थाओं को जनतांत्रिक ढंग से चलाया जाये तथा उस पर सहकारी विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण कम हो, इस दृष्टि से विशेष प्रयास किए जायेंगे। जिन संस्थाओं को राज्य सरकार ने अंशपूंजी नहीं दी है या जिनको ऋण लेने के लिए गारण्टी नहीं दी है उन्हें विभागीय नियन्त्रण से मुक्त किया जाएगा। वित्तीय अनियमितताओं की स्थिति में अवश्य उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार की इस सोच से सहकारी आन्दोलन को विशेष गति मिलेगी।

विद्युत :

14. माननीय सदस्य, प्रदेश के ऊर्जा संकट से भलीभांति अवगत हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कच्चे माल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, विद्युतकर्मियों के वेतन तथा भत्तों के बढ़ते भार, बाह्य स्रोतों से खरीदी जाने वाली बिजली की बढ़ती कीमत तथा बिजली की अनार्थिक दरों से उत्पन्न आय एवं व्यय के असंतुलन के कारण बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता जा रहा है। विद्युत मण्डल द्वारा पूंजी लागत पर 3 प्रतिशत प्रतिलाभ देने की अपेक्षा कानूनी तौर पर की गई है।

15. राज्य सरकार द्वारा विद्युत मंडल को दिये गये 613 करोड़ रुपये के ऋणों को सरकार की हिस्सा पूंजी में बदल दिया गया है ताकि विद्युत मण्डल का ऋण भार कम हो जाए। इसके अतिरिक्त विद्युत मण्डल द्वारा ब्याज हेतु सरकार को देय राशि को भी वापस विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराया गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय अभिकरणों को कोयला, बिजली रेल्वे भाड़ा आदि की आपूर्ति के लिए देय धनराशि को राज्य सरकार को मिलने वाली केन्द्रीय आयोजना सहायता में से काटने के भारत सरकार के निर्णय से विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ गई है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेगी।

16. राज्य में बिजली की आपूर्ति की कठिन स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि बिजली के उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाये ताकि विद्युत उत्पादन के लिए राज्य में किये जाने वाले विनियोग में वृद्धि हो। अभी हाल ही में सरकार ने एक निजी उद्योग समूह के साथ धौलपुर ताप संयन्त्र से विद्युत उत्पादन तथा कुछ शहरों में

बिजली वितरण के कार्य को लेने के बारे में अध्ययन करने हेतु एक समझौता पत्र पर सहमति प्रकट की है। ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्थापित करने का यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

17. बरसिंगसर लिग्नाइट ऊर्जा उत्पादन परियोजना लिग्नाइट खनन्, छोटे व सूक्ष्म पन विद्युत केन्द्र व ऊर्जा उत्पादन की कुछ अन्य योजनाएं निजी क्षेत्र को देने पर भी सरकार विचार कर रही है।

18. कोटा थर्मल संयंत्र की पांचवीं इकाई तथा रामगढ़ गैस परियोजना का कार्य इस वर्ष की समाप्ति तक पूरा होने का अनुमान है।

19. राज्य में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। माननीय सदस्यों को जानकार खुशी होगी कि राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम द्वारा राज्य को 250 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय हो चुका है। इसके फलस्वरूप राज्य में ऊर्जा की आपूर्ति में आशातीत सुधार होगा जिससे उद्यमी तथा किसान दोनों लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि बिजली की आपूर्ति दरें इस प्रकार तय की जायें कि उनसे महंगाई भत्ता तथा कच्चे माल के मूल्य, भाड़ा आदि की वृद्धि का भार मण्डल स्वयं वहन कर सके। इस खर्चे की पूर्ति के लिये एक निश्चित सीमा तक विद्युत दरों में वृद्धि करने का निर्णय मण्डल अपने स्तर पर ले, इस प्रकार की स्वायत्तता विद्युत मण्डल को देने पर सरकार विचार कर रही है।

20. आज उद्यमी तथा किसान बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होने से जितने अधिक परेशान हैं, उतने बिजली की दरों के बढ़ने से नहीं। यदि राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति सुधार कर सरकार अन्य राज्यों व केन्द्रीय अभिकरणों से विद्युत खरीद कर विद्युत की आपूर्ति बढ़ा देती है तो ऐसा प्रयास प्रदेश के विकास के लिये महत्वपूर्ण होगा।

सिंचाई :

21. सिंचाई के विस्तार हेतु सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को पिछले वर्षों में महत्व दिया गया है। ये योजनाएं कृषकों द्वारा संचालित की जाती हैं। राजकीय क्षेत्र में जहां-जहां लिफ्ट योजनाएं चल रही हैं वहां यदि लाभान्वित किसान उन्हें लेना चाहते हैं तो वे योजनाएं उन्हें संचालन एवं संधारण हेतु सौंप दी जायेंगी ताकि किसान अपनी आवश्यकता एवं सुविधा से इन योजनाओं को चला सकें।

22. सिंचाई के महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष राज्य सरकार योजनागत धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग सिंचाई कार्यों पर खर्च करती है। सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं प्रबन्धन में सुधार आवश्यक है। विद्यमान तालाबों के बेहतर संधारण तथा सुधार से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जायेगा। उचित रूप से संधारण नहीं होने से इनकी क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। 50 एकड़ की सिंचाई तक के तालाब सरकार ने

कई वर्षों पूर्व पंचायतीराज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिये थे। यदि किसानों का लाभान्वित समूह कहीं 100 एकड़ तक के तालावों का संधारण तथा जल वितरण अपने हाथ में लेना चाहे तो सरकार सहभागी विकास को ध्यान में रखते हुए उस पर भी विचार करेगी।

23. नहरों के अन्तिम छोर पर किसानों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिलता। अन्त्योदय की भावना से प्रेरित होकर सरकार इन्हें भी समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान सिंचाई प्रणाली में आवश्यक सुधार करेगी।

पशुपालन :

24. राज्य में पशुपालन की अपनी परम्परा रही है। पिछले वर्षों में सरकार ने प्रयास किया है कि इस क्षेत्र में विनियोग बढ़े। राज्य में पशु चिकित्सकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिससे किसानों को असुविधा होती है। पशु शल्य चिकित्सकों की आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से पशु शल्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विस्तार किया जायेगा। प्रदेश में नस्ल सुधार की दृष्टि से स्वैच्छिक आधार पर लागू की गई गोपाल योजना काफी सफल हुई है। इस योजना के अन्तर्गत गांव के युवाओं को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें इस कार्य हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक की सफलता के आधार पर इस योजना का विस्तार किया जायेगा।

पेयजल :

25. कम वर्षा के कारण इस वर्ष प्रदेश में पेयजल की स्थिति कठिन है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के सुधार के लिये हैण्डपम्पों को ठीक करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि अकाल राहत मद से पेयजल व्यवस्था हेतु दी गई है, अजमेर शहर को बीसलपुर परियोजना से अगले वर्ष पानी देना सम्भव हो सकेगा। जोधपुर में 40 लाख गैलन पानी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहां इस कार्य हेतु फिल्टर व्यवस्था की कमी थी जो अब दूर की जा रही है। जोधपुर के लिये 400 लाख गैलन पानी आपूर्ति की वृहद् जलोत्थान योजना हेतु पम्पिंग स्टेशन, फिल्टर प्लान्ट व पानी के सुरक्षित भण्डार बनाने का काम भी शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने पर भी सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है। फ्लोराइड प्रभावी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना बनाकर उन्हें स्वीकार कराने का विशेष प्रयास किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पेयजल के सम्बन्ध में सरकार यथासम्भव सभी प्रयास सर्वोच्च प्राथमिकता से करेगी।

शिक्षा :

26. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है। राज्य के राजस्व व्यय की लगभग एक

चौथाई धनराशि शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से देश के अंतिम दो राज्यों में है। इस सदी के अन्त तक "सबके लिए शिक्षा" के उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं सम्पूर्ण साक्षरता के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। राज्य में 1990 में सरकार ने सम्पूर्ण साक्षरता की दृष्टि से अजमेर जिले को लिया था। मुझे यह कहते हुए वर्ष हो रहा है कि अजमेर को उत्तरी भारत में प्रथम साक्षर जिला व डूंगरपुर को देश में सर्व-प्रथम जनजाति साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अब तक की उपलब्धि से प्रोत्साहित होकर सरकार अगले वर्ष के अंत तक 15 जिलों में साक्षरता कार्यक्रम लागू करने का प्रयास करेगी। मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध किया है कि वे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े चार राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के लिए एक विशेष योजना बनवा कर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायें। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करेगी।

27. पाठ्य पुस्तकों के अभाव में गरीब परिवारों के बच्चे पाठशालाओं में पढ़ने नहीं जा पाते। शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने अगले वर्ष राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि सरकार का यह निर्णय गरीब तबकों में शिक्षा विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राज्य में लागू शिक्षाकर्मी योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। अगले 5 वर्षों में इस योजना का व्यापक विस्तार किया जायेगा। राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सरकार ने जून, 1992 में लोक जुम्बिश नाम की एक महती योजना स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण तथा भारत सरकार के सहयोग से लागू की थी। इस समय यह योजना 15 विकास खण्डों में चल रही है। अगले 5 वर्षों में राज्य की एक तिहाई पंचायत समितियों में इस योजना का विस्तार किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, इस दृष्टि से जहां सामान्य क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या तथा मरुस्थलीय जनजाति क्षेत्रों में 150 से अधिक जनसंख्या होते हुए भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले हैं वहां इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। समानता की दृष्टि से उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी विस्तार किया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास :

28. अगले वर्ष, सरकार का यह विशेष प्रयास होगा कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये कुछ आवासीय शालाओं की शुरुआत की जाये। अनुसूचित जाति के सभी राजकीय एव अनुदानित छात्रावासों में "शिक्षा से स्वावलम्बन" योजना लागू की जायेगी। 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति के गांवों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा तथा इन्हें सभी विभागीय प्रवृत्तियों का

केन्द्र भी बनाया जायेगा। हर विभाग की अनुसूचित जाति संगणक योजना में इन गांवों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा।

29. सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सेवाओं में 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इनके आर्थिक विकास के लिये भी अलग से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा।

30. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कारगर प्रयास किये जायेंगे। जनजाति विकास योजनाओं को इनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाने के प्रयास किये जायेंगे।

उद्योग :

31. पिछली सरकार द्वारा 1990–91 से नई औद्योगिक नीति लागू करने तथा अन्य सुविधाएं देने के फलस्वरूप पिछले 3 वर्षों में राज्य में उद्योगों के लिये विशेष वातावरण बना है। देश की आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और इससे निजीकरण को प्रोत्साहन मिला है। उद्योगों को आकर्षित करने के लिये राजस्थान भी अन्य राज्यों की तरह एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रयत्नशील है। भविष्य में अधिक उद्योग निजी क्षेत्र में वहीं लगेंगे जहां उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें तथा उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो। इसी दृष्टि से वर्तमान औद्योगिक नीति की पुनः समीक्षा की गई है और सरकार शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति घोषित करेगी। उद्यमियों की कठिनाइयों का तत्परता से प्रभावी निराकरण करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जायेगा जो उद्यमियों को सुनकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये अन्तिम निर्णय लेने में सक्षम होगी। अच्छे उद्यमियों को पुरस्कृत करने की भी सरकार व्यवस्था करेगी। स्थानीय साधनों पर लगने वाले उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

32. प्रदेश से विभिन्न देशों को किये जाने वाले निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिये जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी एक इन्लैण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना की जायेगी। यह डिपो अगले वर्ष तक कार्यरत हो जायेगा। हाथकरघा क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में हाथकरघा तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है। हस्तकला के कारीगरों को प्रशिक्षित करने तथा बाजार की आवश्यकता को देखकर डिजाइन सुधार के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के माध्यम से एक हस्तकला संस्थान स्थापित किया जायेगा। उद्योगों के लिए दक्ष कार्मिकों की आवश्यकता होती है। राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों, पोलीटेक्नीक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकले प्रशिक्षित व्यक्ति उद्योगों में रोजगार पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उद्यमियों को इन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं के समीप लाया जाये ताकि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार बेहतर किस्म के प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें। सभी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थानीय उद्यमियों की सलाहकार समिति बनायी जाएगी तथा वहां उद्योगों की आवश्यकता

(24)

के अनुसार तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

खनिज :

33. राजस्थान की धरती खनिज गर्भा है। पिछले वर्षों में पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों व भारत सरकार के निर्देशों की जटिलताओं के कारण खनिजों के दोहन में कठिनाइयां आई हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर इस समस्या को हल किया जाये। प्रदेश में लिग्नाइट एवं लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन इनके खनन के लिए पट्टे जारी करने से पूर्व भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए कई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। कुछ प्रस्ताव तो वहां 2 साल से निर्णय हेतु लम्बित हैं। भारत सरकार की अनुमति के अभाव में राज्य में नये सीमेण्ट प्लान्ट एवं लिग्नाइट आधारित उद्योग नहीं लग पा रहे हैं और इससे काफी विनियोजन रुका हुआ है। सरकार इस कठिनाई को हल करने के लिए विशेष प्रयास करेगी।

सड़क :

34. प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों का होना एक आधारभूत सुविधा है। राज्य में सड़कों का विस्तार अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है और हर जगह सड़कों के निर्माण की मांग आती रही है। सरकार ने 1992 में 1971 की जनसंख्या के 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की थी। इस योजना के लिए लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इससे समान रूप से सभी क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार होगा। सरकार सभी पंचायत मुख्यावासों को सड़कों से जोड़ने तथा 198। की 1000 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाकर बाह्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगी। सरकार के अपने वर्तमान साधनों से इस प्रकार का विनियोग करना इस समय सम्भव नहीं है।

चिकित्सा :

35. राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है लेकिन गुणात्मक दृष्टि से उनमें सुधार की काफी गुंजाइश है। मुख्य समस्या चिकित्सकों की गांवों में रहने की अनिच्छा तथा चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा स्वैच्छिक आधार पर चलाई जा रही शिक्षाकर्मी योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्यकर्मी योजना चलाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण तथा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

36. यातायात बढ़ने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। यद्यपि दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सेवा के लिये आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं किन्तु इन सेवाओं में काफी सुधार की आवश्यकता है। स्वैच्छिक

संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेकर आपातकालीन सेवाओं में सुधार लाने के प्रयास किये जायेंगे।

37. निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। निजी क्षेत्र में बड़े शहरों में चिकित्सा काम्पलेक्स बनाने पर विचार किया जा सकता है। दानदाताओं तथा धर्मार्थ संस्थाओं से भी इस कार्य हेतु सहयोग लिया जायेगा।

38. राज्य में जनसंख्या की तेज वृद्धि हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है। जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकार ने पंचायत राज व नगरपालिका सम्बन्धी अधिनियमों में दो से अधिक बच्चों वाले दम्पत्तियों को चुनाव के लिये निर्योग्य बनाने के लिये आवश्यक संशोधन किया था। सहकारी संस्थाओं के चुनाव में भी जनप्रतिनिधियों के लिये इस प्रकार की निर्योग्यता हेतु कानून में संशोधन किया जायेगा।

39. परिवार कल्याण कार्यक्रम में शल्य क्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग दो लाख आपरेशन प्रदेश में किये जाते हैं लेकिन इससे जनसंख्या की वृद्धि पर अधिक असर नहीं पड़ता क्योंकि कई लोगों के आपरेशन अधिक उम्र में होतेहैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुखी बनाने के लिये सरकार ने जनमंगल योजना लागू की थी। परिवार नियोजन सेवाओं को शल्य क्रिया पर भी मुख्यतः आधारित रखने की बजाय परिवार नियोजन सेवाओं के सामाजिक विपणन के पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये। परीक्षण के तौर पर एक दो जिलों में सामाजिक विपणन के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जायेगा।

पर्यटन विकास :

40. देश के पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान का अपना एक विशिष्ट स्थान है। प्रतिवर्ष 50 लाख से भी अधिक स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में आते हैं। विदेशों से भी लगभग 6 लाख पर्यटक आते हैं। प्रदेश में 18 हेरीटेज होटलों की स्थापना हो गयी है। सरकार द्वारा लागू की गई पेइंग गेस्ट योजना का भी स्वागत हुआ है।

41. पर्यटन विकास के लिये पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है। ऐतिहासिक स्थानों का विकास, होटलों के लिये भूमि आवंटन, राष्ट्रीय मार्गों पर जन सुविधाओं का विस्तार, धार्मिक स्थानों पर पर्यावरण सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पर्यटन विकास हेतु बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयास जारी है। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष इस बारे में आशाजनक परिणाम निकलेंगे।

नियोजन :

42. योजना विनियोग में वृद्धि होने के विशेष अवसर प्रदेश में उपलब्ध होंगे। योजनाओं को नियोजन परक बनाने के लिये भी प्रयास किया जायेगा। स्वनियोजन हेतु तकनीकी शिक्षा का विस्तार तथा शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। कृषि एवं उद्योगों में तेज गति

से हो रहे विकास के फलस्वरूप भी रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। गांवों में बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिये दुकानों के चरणबद्ध निर्माण की एक महती योजना बनाई जायेगी जिसमें पहले चरण में 40 हजार दुकानों का निर्माण किया जायेगा।

43. शहरों में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण आधारभूत सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है। नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु परियोजनाएँ बनाकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने स्वयं के साधनों से इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिये प्रयास जारी है। इनका और भी विस्तार किया जायेगा।

44. गृह निर्माण समितियों द्वारा बड़े शहरों में कृषि भूमि पर आवासीय भूखण्ड बनाकर बड़ी संख्या में अपने सदस्यों को दे दिये गये थे। इन समितियों द्वारा यह कार्य कृषि भूमि रूपान्तरण नियमों, मास्टर प्लान, अरबन एक्ट व निर्माण उप नियमों का उल्लंघन करके किया गया था अतः हजारों की संख्या में लोग इस समस्या से परेशान हो रहे थे। दिसम्बर 93 में विधान सभा में दिये गये अपने पिछले अभिभाषण में मैंने जयपुर तथा अन्य बड़े नगरों में वर्षों से लम्बित भूमि रूपान्तरण की समस्या का उल्लेख किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने इस प्रकार के मामलों का नियमन करने के लिए तथा इस समस्या से ग्रस्त हजारों भूखण्डधारियों को लाभान्वित करने हेतु लगभग एक सप्ताह पूर्व भूमि रूपान्तरण के नियमन के आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये हैं जिसके फलस्वरूप भवन निर्माण के कार्य को गति मिलेगी। बड़े शहरों में आवासीय समस्या के समाधान की दिशा में यह निर्णय सहायक सिद्ध होगा।

45. संविधान के 73वें संशोधन के आधार पर पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान जिला परिषद् तथा पंचायत समिति अधिनियम, 1959 में संशोधन किया जाना है। प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सरकार ने व्यापक विचार विमर्श किया है तथा लोगों के सुझाव भी लिये हैं। इस आधार पर आवश्यक संशोधन बिल विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा और इस विधेयक के पारित होने के बाद पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। इससे प्रदेश में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

अभाव स्थिति :

46. इस वर्ष भी वर्षा कम होने तथा समय पर न होने के कारण प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। गिरदावरी के आधार पर 22,586 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इस महीने की पहली तारीख से अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। अकाल राहत कार्यों के चयन में राज्य में स्थायी सम्पदाओं के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसके अलावा पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों को भी प्राथमिकता दी गयी है। असहाय सहायता,

पशु आहार अनुदान एवं चारा व्यवस्था भी की जा रही है। 1992 व 1993 में राज्य के कई जिलों में हुई अधिक वर्षा से क्षति ग्रस्त तालाब, बांध, राजकीय भवन व सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये पेयजल, रोजगार, पशु संरक्षण आदि के लिये सभी आवश्यक प्रयास करेगी।

विधायी कार्य :

47. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

2. राजस्थान पंचायत एवं पंचायत समिति (संशोधन) विधेयक, 1995

3. राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1994

सत्र में निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :

1. आय-व्ययक अनुमान 1994-94

2. अनुपूरक अनुदान की मांगें 1993-1994

48. माननीय सदस्यगण, आज सारा देश समय की एक दुरभिसंधि पर खड़ा है। देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में तेजी से व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। एक ओर जहां हमारे व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है वहीं दूसरी ओर हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर पड़ती विदेशी छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है। हमें अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत को बनाये रखते हुए विश्व में हो रहे व्यापक परिवर्तनों का लाभ उठाना है। आर्थिक उदारवाद की जो नीतियां आज देश में चल रही हैं उन्हें लागू करते समय यह भी देखना होगा कि आर्थिक उदारवाद के नाम पर गरीब व्यक्तियों का शोषण न हो। इसके लिए हमें उन्हें आवश्यक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना होगा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संवेदनशील तथा लक्ष्यपरक बनाना होगा। राजस्थान के विकास में आड़े आने वाली समस्याओं को व्यापक दृष्टिकोण से समझना होगा तथा उनके हल की दिशा में सहयोग की भावना से बढ़ना होगा। विकास के कार्यों में विभिन्न मत तो हो सकते हैं पर विवाद नहीं। मेरा यह अनुरोध है कि शासक दल तथा विपक्ष में पारस्परिक सौहार्द्र व सहयोग की जो परम्परा अब तक रही है वह बनी रहे तथा सभी सदस्यगण आपसी मतभेद भुलाकर इस परम्परा के निर्वहन में क्रियाशील हों। इसी प्रकार के सौहार्द्र तथा सहयोग का आह्वान प्राचीन मनीषियों ने अथर्ववेद में इन शब्दों में किया था —

सहृदय सांमनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्योन्यम् अभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥
(अथर्ववेद)

(मैं आपसे सौहार्द, सौमनस्य और अविद्वेष का आह्वान करता हूं। आप पूर्ण स्नेहभाव से एक दूसरे का सहकार करें।)

49. इसी सौहार्द और सौमनस्य की शुभकामनाएं मैं सभी माननीय सदस्यों को समर्पित करता हूं। जय हिन्द !